मध्यप्रदेश
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.एफ–25/62/99/2001/चार/पी.डब्ल्यू.सी   भोपाल,दिनांक 12.1.2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व,ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–सेवापुस्तिका में अंकित जन्मतिथि की कॉट–छॉट, उपरिलेखन, के संबंध में ।

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं.एफ बी–25/29/94/पी.डब्ल्यू.सी/चार दिनांक 1.7.95 द्वारा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 23.12.94 को अधिक्रमित करते हुए जन्मतिथि की कॉटा छांट के प्रकरणों में जन्मतिथि को मान्यता प्रदान करने के अधिकार संबंधित संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित किये गये है । वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 23.8.96 द्वारा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 1.7.95 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर सेवापुस्तिका में कॉट छॉट नहीं है, लेकिन अंकित जन्मतिथि को किसी न्यायालय के आदेश के अनुरूप अथवा किसी और वजह से परिवर्तित किया जाना है, तो यह अधिकार प्रशासकीय विभाग को होंगे ।

2. जन्मतिथि की कॉट–छॉट के प्रकरणों के निराकरण में सुविधा की दृष्टि से यह भी निर्देश दिये जाते है कि शासकीय कर्मचारी की सेवापुस्तिका में वार्षिक सेवा सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रमाण पत्र अंकित किया जावे :–

''शासकीय अभिलेखों के आधार पर दिनांक........................से.......................तक सेवा सत्यापित की गई। सेवापुस्तिका निरीक्षण में कु./श्रीमती/श्री................................की जन्मतिथि में कोई कॉट छॉट या संशोधन नहीं है ।''

3. शासकीय सेवक की सेवापुस्तिका कई भागों में संधारित की जाती है । अतः जिन शासकीय सेवकों की सेवापुस्तिका के एक से अधिक भाग संधारित हों, उन मामलों में यह सुनिश्चित किया जावे कि सेवापुस्तिका के प्रतयेक भाग में जन्मतिथि एक जैसी है तथा किसी भाग की जन्मतिथि की प्रविष्टी में कोई कांट छांट नहीं ह।

4. इन निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(मिलिंद वाईकर)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग